राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
जिला झुन्झुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी – सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– **91/2024**

GCMS No.2024/154

धुड़ाराम पुत्र रामेश्वर उम्र 55 वर्ष जाति कुम्हार निवासी बबाई तहसील खेतड़ी जिला नीमकाथाना, राज0

........वादी

ब–ना–म

1. ब्रिजेश कुमार अग्रवाल पुत्र शंकरलाल उम्र 50 वर्ष जाति महाजन निवासी बबाई तहसील खेतड़ी जिला नीमकाथाना, राज0
2. सुरेश कुमार कुमावत पुत्र बनवारी लाल उम्र 50 वर्ष जाति कुम्हार निवासी बबाई तहसील खेतड़ी जिला नीमकाथाना, राज0
3. राजेश कुमार पुत्र हरलाल उम्र 45 वर्ष जाति गुर्जर निवासी बबाई तहसील खेतड़ी जिला नीमकाथाना, राज0
4. शरीफ नारिया पुत्र आमीन नारिया उम्र 53 वर्ष जाति मुसलमान निवासी वार्ड नं. 2 खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला नीमकाथाना, राज0
5. राजस्थान सरकार जरिये भूमि धारक तहसीलदार, खेतड़ी।

........प्रतिवादीगण

पदेन सहायक कलेक्टर खेतड़ी

दावा– खाता विभाजन

अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित अधिवक्ता :–

1. श्री शेरसिंह कुमावत – वादी की ओर से

2. श्री संदीप जोरासिया – प्रतिवादीगण की ओर से

–:निर्णय :– दिनांक 26.11.25

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2025.12.23 14:59:58 IST
Reason: SelfAttested

उपर्युक्त उनवानी प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 1[illegible]8–2[illegible] को प्राथमिक डिक्री का निर्णय पारित किया गया कि **ग्राम प्रता[illegible]** तहसील खेत[illegible] स्थित भूमि **हाल खाता संख्या नया 223** में दर्ज खसरा नंबर क्रमशः 123, 124 कुल [illegible] कुल रकबा 0.54 है. में वादी का 1/6 हिस्से का, प्रतिवादी सं. 1 का 1/12 हिस्से का, प्रतिवादी सं. 2 का 1/12 हिस्से का, प्रतिवादी सं. 3 का 1/2 हिस्से का व प्रतिवादी सं. 4 का 1/6

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

हिस्से का दर्ज राजस्व रिकार्ड व मौका कब्जा काश्त के अनुसार अलग–अलग से खाता विभाजन कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। पक्षकारान के मौके पर कब्जा काश्त तथा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तों सम्बंधी राजस्व विभाग के परित्र दिनांक 06.11.2004 व राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान के परिपत्र क्रमांक प.3(17) राज–6/2021 पार्ट/91 जयपुर दिनांक 30.09.2021 के बिन्दु संख्या 6 को मध्यनजर रखते हुए माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक रा.म./न्याय/स्था./प–15/2008/विविध/10546 दिनांक 05.10.2020 के परिप्रेक्ष्य में पक्षकारान को लिखित में सूचित कर उनकी उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर यथाशीघ्र भिजवाने हेतु तहसीलदार (भू.अ.) खेतड़ी को तहरीर जारी की गई। तहसीलदार (भू.अ.), खेतड़ी ने अपने पत्र क्रमांकः भू.अ./2024/4539 दिनांक 25.11.2024 से न्यायालय के निर्णयानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये गये जो शामिल पत्रावली किये गये।

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता उभय पक्षकारान विभाजन प्रस्ताव पर सुनी गई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान ने तहसीलदार, खेतड़ी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 25–11–2024 के अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 25–11–2024 (प्रदर्श–''अ–1 लगा. अ–7'' एवं प्रदर्श नक्शा ट्रेस–''ब'') का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। अतः वाद वादी मय प्रतिदावा प्रतिवादी सं. 1 से 4 मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 25–11–2024 (प्रदर्श–''अ–1 लगा. अ–7'' एवं प्रदर्श नक्शा ट्रेस–''ब'') के अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादी मय प्रतिदावा प्रतिवादी सं. 1 से 4 मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 25–11–2024 (प्रदर्श–''अ–1 से अ–7'' व प्रदर्श नक्शा ट्रेस–''ब'') के अन्तिम डिक्री किया जाता है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 से 4 के हिस्से का अलग से खाता विभाजन कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 25–11–2024 (प्रदर्श–''अ–1 से अ–7'' व प्रदर्श नक्शा ट्रेस–''ब'') इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगें। तहसीलदार खेतड़ी पक्षकारान के निवेदन पर प्रदर्श नक्शा ट्रेस–''ब'' के अनुसार सीमांकन करवायेंगे। उक्तानुसार अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26/11/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2025.12.23 14:59:58 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं (राज.)

ासीन अधिकारी – सुनील कुमार चौहान आर.ए.एस.

उनवान

धुड़ाराम

ब–ना–म

ब्रिजेश कुमार अग्रवाल आदि

वा बाबत **खाता विभाजन**

ुकदमा नम्बर :– **91 / 2024** **GCMS No. 2024/154**

र्णय दिनांक :– 26/11/25

वादी की ओर से **श्री शेरसिंह कुमावत एडवोकेट** की व प्रतिवादीगण की ओर से **श्री** ीप **जोरासिया एडवोकेट** की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 26/11/25 को र समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है क –

"अतः वाद वादी मय प्रतिदावा प्रतिवादी सं. 1 से 4 मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 5–11–2024 (प्रदर्श–"अ–1 से अ–7" व प्रदर्श नक्शा ट्रेस–"ब") के अन्तिम डिक्री किया ाता है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 से 4 के हिस्से का अलग से खाता विभाजन कर लगान लग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 25–11–2024 प्रदर्श–"अ–1 से अ–7" व प्रदर्श नक्शा ट्रेस–"ब") इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग हेंगें।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 26/11/25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
...खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2025.12.23 14:59:58 IST
Reason: SelfAttested